कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, फिरोजाबाद

पत्रांक 1240 / 14-1 दिनांक : फिरोजाबाद 09-12- 2016

सेवा में,

टेरिटरी मैनेजर,
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि0,
क्षेत्रीय कार्यालय, मथुरा (उ0प्र0)

विषयः– जनपद फिरोजाबाद में टूण्डला–एटा मार्ग (एस0एच0–31) के किमी0 5.718 के बायीं पटरी पर ग्राम कोटकी तहसील टूण्डला जिला फिरोजाबाद के गाटा सं0–238 पर भारत पेट्रोलियम कॉर्पो0 लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग हेतु 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु ऑनलाइन उपलब्ध कराये गये अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– उ0प्र0 सरकार के पत्र संख्या 141/14–2–2016–800(139)/2016 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र, जो आपको भी पृष्ठांकित है, के क्रम में जनपद फिरोजाबाद के टूण्डला–एटा मार्ग (एस0एच0–31) के किमी0 5.718 के बायी पटरी पर ग्राम कोटकी तहसील टूण्डला जिला फिरोजाबाद के गाटा सं0–238 पर भारत पेट्रोलियम कॉर्पो0 लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075028 हे 0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के अनुमति विषयक ऑनलाइन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति कतिपय शर्तों के साथ निर्गत की गयी है। शर्तों के अनुपालन में निम्न प्रकार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

1. वन भूमि के एक्सीलेशन/डी–एक्सीलेशन लेने के निर्माण के लिए वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवश्यक एवं निकास/प्रवेश भारत सरकार के सडक परिवहन एवं राष्ट्रीय मार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी गार्डड लाईन्स दिनांक 24.07.2013 के अन्तर्गत स्वीकृत ले–आउट प्लान के आधार पर होगा।
2. सडक के किनारे के वृक्षारोपण को बिना क्षति पहुंचाये उपयुक्त साइन एवं मार्किंग लगाया जाये, जिसमें फ्यूल स्टेशन का लोकेशन अंकित हो।
3. फ्यूल स्टेशन के पूरे परिसर में कम दूरी पर (1×1.5 मीटर) कम छत्र के वृक्ष का रोपण किया जाये, जो बाहरी दीवार से 1.5 मीटर के अफसेट पर शुरू होगा, जो हरियाली बनाये रखेगा तथा यह फ्यूल स्टेशन से भूमि की आवश्यकता के अतिरिक्त होगा।
4. प्रस्तावक एजेन्सी के द्वारा सम्पर्क मार्ग, सेप्रेटर आइसलैण्ड एवं अन्य रिक्त स्थानों पर उपयुक्त वृक्षारोपण किया जायेगा, जो क्षातिपूरक वृक्षारोपण (आदि लागू हों), के अतिरिक्त होगा।
5. प्रत्यावर्तित किये जाने वाले वनभूमि का क्षेत्रफल किसी भी दशा में 1.00 हे0 से कम होगा।
6. इस परियोजना का अनुमोदन वास्तविक आवश्यकता के आधार पर (नीड बेस्ड) आधारित है।

7. प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिए गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) रू0 46968.00 का आर0टी0जी0एस0 द्वारा जो Compensatory Afforestation Fund (CAF) uttar Pradesh A/C no. 25230 corporation bank new delhi में जमा करना होगा। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation, management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी। तदोपरान्त पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि की मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाये। तत्पश्चात् ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
8. उपरोक्त आदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या एस0बी0–25230 कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), नई दिल्ली में जमा कराया जायेगा।
9. वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
10. नोडल अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।
11. प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आसपास के फ्लोरा (वनस्पति)/फाना (वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होंगें, अतः प्रस्तावक विभाग फ्लोरा/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगें।
12. प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो, तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
13. प्रस्तावक विभाग के सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन संपदा को क्षति पहुंचाएगें और यदि उक्त व्यक्तियों से वन संपदा में कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है तो उसके लिए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।
14. उक्त वनभूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी, जब तक कि प्रस्तावक विभाग को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक विभाग को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वन भूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे। वन विभाग उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।
15. भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0(पी0टी0) दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या J-11013/41/2006-IA-II(I) दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को

कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया गया है।

16. उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तों, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिये आवश्यक हों, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
17. राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के अनुश्रवण के अधीन होगीं।
18. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा कराना होगा।
19. प्रश्नगत परियोजना राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव विहार/ प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर अवस्थित है। यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।
20. सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को यह प्रमाण–पत्र देना होगा कि प्रश्नगत वनभूमि न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित है।
21. प्रश्नगत परियोजना के प्रारम्भ के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त दावों का निस्तारण किया जा चुका है।
22. समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
23. उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
24. इस सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 11.07.2014 व 21.08.2014 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।
25. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11–9/98–एफसी दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (slip) फाइल में दर्शाया गया हो।
26. प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय कार्यालय लखनऊ के परिपत्र संख्या–एफ0एन0 संख्या–11–268/2014 एफसी, दिनांक 11.07.2014 में नये दिशा–निर्देश के अनुसार परियोजना का ले–आउट प्लान प्रस्तुत करना होगा।
27. प्रस्तावक के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का रखरखाव के लिए रू0 **441946.00** का (रू0 चार लाख इकतालीस हजार नौ सौ छियालीस मात्र) आर0टी0जी0एस0 द्वारा **Compensatory Afforestation Fund (CAF) uttar Pradesh A/C no. 25230 corporation bank new delhi** मेंजमा करना होगा।

28. प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/ प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते है।

29. उपरोक्त समस्त शर्तों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किए जाने के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी।

(विनोद शंकर शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग फिरोजाबाद

पत्रांकः / दिनांकित

प्रतिलिपिः– नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, वनोपयोग वृत्त 17 राणा प्रताप मार्ग, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

(विनोद शंकर शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग फिरोजाबाद